**<u>दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड: नई दिल्ली</u>**

(औद्योगिक संबंध समूह)

**<u>एसटीसी/मुख्यालय/कार्मिक/औ.सं./02140/2014</u>** **19 नवंबर, 2020**

**<u>परिपत्र सं.: औ.सं./31/2020</u>**

**विषय: <u>एसटीसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना - 2020</u>**

एसटीसी के सभी कर्मचारियों के लिए एसटीसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना 19.11.2020 से प्रारंभ होगी और 60 दिनों तक अर्थात 18.01.2021 को कार्यदिवस की समाप्ति तक (दोनों दिनों को मिलाकर) खुली रहेगी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले पात्र कर्मचारियों को अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-I) में उचित माध्यम से देना होगा। मुख्यालय/ शाखा कार्यालयों में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 18.01.2021 को कार्यदिवस की समाप्ति तक होगी।

1.1 इस योजना के अंतर्गत लगभग 150 कर्मचारियों को कवर करने का अनुमान है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदनों पर सामान्यत: "पहले आओ-पहले पाओ" के आधार पर विचार किया जाएगा। तथापि, बंद होने वाली शाखाओं के कर्मचारियों (प्रबंधकों एवं स्टॉफ) को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में, यदि एक ही समय पर दो या अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो अधिक उम्र वाले आवेदनकर्ता को वरीयता दी जाएगी।

1.2 यदि आवेदकों की संख्या अनुमानित संख्या से अधिक होती है तो प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी और बाद में निधि की उपलब्धता पर उसे लागू किया जाएगा।

2. <u>पात्रता:</u>

2.1 एसटीसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना निम्नानुसार सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होगी:

- i) स्टाफ संवर्ग के सभी कर्मचारी, बिना किसी सेवा अवधि की सीमा के ।
- ii) प्रबंधक संवर्ग के सभी कर्मचारी, बिना किसी सेवा अवधि की सीमा के ।

2.2 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण होने वाली रिक्तियों के स्थान पर कोई भर्ती/पदोन्नति नहीं की जाएगी और इन पदों/रिक्तियों को समाप्त/कम किया जाएगा।

3. **<u>वीआरएस प्रतिपूर्ति और अन्य सेवांत हितलाभ:</u>**

3.1 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2020 के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारी को निम्नलिखित अनुग्रही लाभों (योजना 'क' अथवा योजना 'ख') में से **<u>किसी एक</u>** का चयन करना होगा और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन पत्र के क्रम सं. 2 पर अपना विकल्प स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा :

डा. पि. मिश्रा

3.1.1 **योजना-'क' - गुजरात पद्धति**

प्रतिपूर्ति में की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिनों का वेतन और अधिवर्षिता तक शेष सेवा के लिए 25 दिनों का वेतन शामिल होगा। प्रतिपूर्ति न्यूनतम ₹25,000/- या 250 दिन का वेतन, जो भी अधिक हो, की शर्त पर होगी। तथापि, यह प्रतिपूर्ति उस वेतन से अधिक नहीं होगी, जो अधिवर्षिता से पूर्व की शेष अवधि के लिए मौजूदा स्तर पर कर्मचारी प्राप्त करेगा।

3.1.2 **योजना-'ख' - डीएचआई (भारी उद्योग विभाग) पद्धति**

(i) एक कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 45 दिनों की परिलब्धियों (वेतन + महंगाई भत्ते) के बराबर अनुग्रही राशि या सेवानिवृत्ति के समय मासिक परिलब्धियों को सेवानिवृत्ति की सामान्य तारीख से पूर्व सेवा के शेष महीनों से गुणा करते हुए, जो भी कम हो, की अनुग्रही राशि का हकदार होगा।

(ii) वे सभी कर्मचारी जिन्होंने कम-से-कम 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे अधिकतम 60 (साठ) महीने के वेतन के रूप में प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे। यह सेवा की शेष अवधि के वेतन से अधिक नहीं होने की शर्त पर होगा (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय मासिक वेतन की दर से)।

3.2 अनुग्रही राशि के अलावा, निम्नलिखित सेवानिवृत्ति लाभ देय होंगे:

3.2.1 लागू सेवा शर्तों के अनुसार तीन महीने का नोटिस भुगतान अनुमेय होगा। तथापि, यह इस शर्त के अधीन होगा कि प्रतिपूर्ति की कुल राशि और तीन महीने के नोटिस का भुगतान, कर्मचारी की सेवानिवृत्ति तक उसकी सेवा की शेष अवधि के लिए भुगतान से अधिक नहीं होगा।

ऐसी परिस्थितियों में, जहाँ प्रबंधन को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन की स्वीकृति के बारे में निर्णय लेने में समय लगता है और नोटिस अवधि को बीत जाने दिया जाता है या संबंधित व्यक्ति ने नोटिस अवधि के दौरान उसके द्वारा की गई सर्विस के लिए पूर्ण वेतन प्राप्त किया है, ऐसे मामलों में नोटिस अवधि का भुगतान देय नहीं होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने पहले ही नोटिस अवधि के दौरान वेतन प्राप्त कर लिया है।

3.2.2 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत प्रतिपूर्ति अन्य सेवानिवृत्ति लाभों, जैसे सीपीएफ, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के तहत ग्रेच्युटी और कार्पोरेशन के नियमों के अनुसार अवकाश नकदीकरण के अलावा होगी।

3.2.3 कर्मचारी को कार्यभार मुक्त करने की तारीख तक आनुपातिक आधार पर आकस्मिक अवकाश के बराबर नकद राशि।

3.2.4 गृह नगर या उस स्थान पर जहाँ वह भारत में बसने का इरादा रखता है, जाने के लिए स्वयं और परिवार के लिए कार्पोरेशन के यात्रा भत्ता नियमों के तहत उसकी पात्रता के अनुसार यात्रा व्यय, उक्त यात्रा कार्यमुक्ति की तारीख से 2 माह के अंदर की जानी चाहिए।

डी. पी. मिश्रा

3.2.5 समय-समय पर संशोधित एसटीसी (सेवानिवृत्त कर्मचारी) चिकित्सा लाभ योजना के तहत चिकित्सा लाभ, बशर्ते कर्मचारी किसी अन्य स्रोत से इस प्रकार के लाभ न ले रहा हो।

3.2.6 वीआरएस का विकल्प लेने वाला कर्मचारी एसटीसी कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना - पेंशन योजना - पेंशन नियमों की अनुसूची 10(ख) द्वारा शासित होगा।

3.2.7 कंपनी के स्वामित्व वाले आवास को कार्यमुक्ति की तारीख से अधिकतम 2 माह तक रखने की अनुमति दी जाएगी और ₹2 लाख (दो लाख रुपए) की ब्याज मुक्त टोकन राशि आवास खाली करने तक रोक कर रखी जाएगी।

3.2.8 कार्पोरेशन की विकट वित्तीय स्थिति और निधियों की सीमा के कारण अनुग्रही लाभ का भुगतान दो समान किश्तों में किया जा सकता है। तथापि, इसके शीघ्रतम भुगतान हेतु प्रयास किए जाएँगे। इसके अलावा, सांविधिक भुगतानों की निर्धारित समय-सीमा से इतर देरी, बशर्ते देरी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी की वजह से न हो, को छोड़कर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

4. <u>प्रक्रिया:</u>

4.1 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने हेतु अनुलग्नक-1 में दिये अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र दो प्रतियों में निम्नोक्त नामित नोडल अधिकारी के पास प्रस्तुत किए जाएँगे :

क) <u>मुख्यालय में</u>: श्री एस॰के॰ मीणा, संयुक्त महाप्रबंधक – कार्मिक प्रभाग (उनकी अनुपस्थिति में डॉ॰ जगदीश प्रसाद, मुख्य प्रबंधक– कार्मिक प्रभाग, नोडल अधिकारी के रूप में आवेदन स्वीकार करेंगे)।

ख) <u>शाखाओं में</u>: शाखा प्रबंधक अथवा उनके द्वारा नामित प्रबंधक आवेदन प्राप्त करने हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

4.2 मुख्यालय और शाखा कार्यालयों दोनों में, आवेदन की पावती, छायाप्रति (संबंधित कर्मचारी द्वारा रखी जाने वाली) पर नोडल अधिकारी द्वारा प्राप्ति की तिथि और समय दर्शाते हुए दी जाएगी। शाखाओं के कर्मचारियों के आवेदनों के मामले में, आवेदन पत्र की स्कैन की हुई प्रति अधिक-से-अधिक अगले दिन तक संयुक्त महाप्रबंधक (कार्मिक) को ईमेल skmeena@stclimited.co.in पर, डॉ॰ जगदीश प्रसाद, मुख्य प्रबंधक (कार्मिक) को ईमेल drjagdishpd@stclimited.co.in पर प्रति सहित भेजी जाएगी, इसके पश्चात फैक्स/डाक द्वारा भेजी जाएगी। शाखाओं द्वारा आवेदन पत्रों की मूल प्रतियाँ साप्ताहिक आधार पर संयुक्त महाप्रबंधक (कार्मिक) को भेजी जाएँगी।

5. <u>कार्यमुक्ति</u>

5.1 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना मुख्यत: सभी कर्मचारियों (अधिकारीगण तथा स्टॉफ) के लिए है। किसी भी कर्मचारी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अनुरोध को स्वीकार करना आमतौर पर 'पहले आओ-पहले पाओं' के आधार पर, सतर्कता अनापत्ति और निधियों की सीमा की शर्त पर होगा।

डो. पी. मिश्रा

5.2 इस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले कर्मचारियों को यथाशीघ्र कार्यमुक्त किया जाएगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मकारी आवेदन की स्वीकृति के बाद 5 दिनों के भीतर कार्यमुक्त होने से पूर्व संबंधित प्रभागाध्यक्ष/शाखा प्रबंधक द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अपना कार्यभार सौंप देंगे। किसी कर्मचारी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अनुरोध की स्वीकृति सतर्कता अनापत्ति की शर्त पर होगी और उनकी कार्यमुक्ति प्रभागाध्यक्ष/शाखा प्रबंधक द्वारा अधिकृत व्यक्ति को कार्यभार सौंपने के पश्चात ही होगी। प्रभागाध्यक्ष/शाखा प्रबंधक की ओर से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अनुरोध के मामले में संबंधित निदेशक उनकी कार्यमुक्ति और अन्य सभी संबंधित मामलों में निर्णय लेंगे।

5.3 इस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी उनकी सेवामुक्ति की तारीख से कार्पोरेशन के रोल पर नहीं रहेंगे।

5.4 प्रबंधकीय संवर्ग (ई-1 से ई-8) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के अनुरोध को इस आधार पर कि ऐसे कर्मचारी की सेवाओं की कार्पोरेशन को आवश्यकता है, अस्वीकृत करने अथवा कार्यमुक्ति तारीख को आगे बढ़ाने, जैसे भी स्थिति हो, का अधिकार प्रबंधन के पास होगा ।

6. <u>अन्य शर्तें:</u>

6.1 यह योजना परक्राम्य नहीं है और किसी प्रकार के औद्योगिक विवाद का मामला नहीं होगी।

6.2 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के उद्देश्य से वेतन में केवल मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल होंगे तथा इसमें कुछ और शामिल नहीं होगा।

6.3 अनुग्रही राशि की गणना के उद्देश्य से महीना 30 दिन के आधार पर गिना जाएगा।

6.4 अनुग्रही राशि की गणना की गई सेवा/शेष सेवा के पूर्ण वर्षों के आधार पर और उसके भाग पर आनुपातिक आधार पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।

6.5 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अनुलाभों के उद्देश्य से एलओपी (लॉस आफॅ पे) अवधि को सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा, इसलिए सेवा के पूर्ण वर्षों की गणना करते समय, अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि, बिना वेतन का अवकाश या किसी अन्य प्रकार की ऐसी अनुपस्थिति जिसे अवकाश की मंजूरी द्वारा नियमित नहीं किया गया हो, को शामिल नहीं किया जाएगा।

6.6 अन्य सीपीएसई में की गई पिछली सेवा केवल तभी गिनी जाएगी, जबकि अर्जित अवकाश और भविष्य निधि के समतुल्य नकद राशि हस्तांतरित की गयी हो।

6.7 ग्रेच्युटी का भुगतान ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार किया जाएगा।

6.8 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को उपर्युक्त को छोड़कर कोई अन्य लाभ देय नहीं होंगे।

6.9 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण भुगतान आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर कटौती, यदि कोई हो, की शर्त पर होगा।

6.10 एक बार कोई कर्मचारी एसटीसी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठाता है, तो उसे किसी अन्य सीपीएसई / राज्य पीएसई / सरकारी संगठन / स्वायत्त निकाय / केंद्रीय/राज्य सरकार के अधीन

डी. पी. मिश्रा

अधीनस्थ कार्यालय / कोआपरेटिव संगठन में रोजगार लेने की अनुमति होगी। यदि वह ऐसा करना चाहता/चाहती है, तो उसे प्राप्त अनुग्रही राशि एसटीसी को लौटानी होगी, इस वजह से कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी को बची हुई सेवा के लिए प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। यदि एसटीसी को बंद/विलय कर दिया जाता है, तो अनुग्रही राशि सीधे भारत सरकार को लौटानी होगी।

6.11 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को फाइलों/दस्तावेजों की स्कैन प्रति सहित अपने पास सुपुर्द फाइलों की सूची विधिवत पृष्ठ संख्या डालकर तैयार करनी होगी और कार्रवाई हेतु लंबित मामलों की एक सूची भी तैयार करनी होगी तथा प्रभागाध्यक्ष/शाखा प्रबंधक द्वारा नामित प्रबंधक को उन्हें अपना कार्यभार सौंपना होगा। आगे, वह कार्यालयी उपयोग के लिए उसे जारी की गई सभी वस्तुएँ संबंधित विभाग को लौटाएगा तथा संबंधित प्रभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा। इसके पश्चात ही उनकी देय राशि जारी की जाएगी।

6.12 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प 18.01.2021 को कार्यदिवस की समाप्ति तक चुनना होगा। इसके बाद, प्रबंधन औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अनुसार अधिशेष जनशक्ति से निपटारे की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

6.13 एक बार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन की पावती दे दी जाती है तो विकल्प लेने वाले कर्मचारी को उसका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.14 चूँकि, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रतिपूर्ति में अधिवर्षिता तक बची हुई शेष सेवा को भी शामिल किया जाता है, इसलिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को पिछले 24 माह में बाहर रोजगार हेतु सीपीएसई / राज्य पीएसई / सरकारी संगठनों / स्वायत्त निकायों / केंद्रीय/ राज्य सरकारों के अधीन अधीनस्थ कार्यालयों / कोआपरेटिव संगठनों में भेजे गए आवेदनों का विस्तृत विवरण स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन-पत्र (अनुलग्नक-I) के परिशिष्ट में निर्धारित प्रारूप में देना होगा।

6.15 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति इस शर्त पर होगी कि कार्यमुक्ति की तारीख को सभी बकाया देयों को भुगतानयोग्य अनुग्रही राशि और अवकाश नगदीकरण मे से समायोजन किया जा सके। यदि बकाया राशि, भुगतानयोग्य अनुग्रही राशि और अवकाश नगदीकरण की राशि से अधिक है तो भुगतानयोग्य राशि में से समायोजित करने के पश्चात बची हुई देय राशि का भुगतान कर्मचारी को उसके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अनुरोध की स्वीकृति से पूर्व करना होगा।

6.16 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अनुरोध की स्वीकृति सतर्कता अनापत्ति और निधियों की सीमा की शर्त पर होगा। यह योजना किसी भी कर्मचारी को उसके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अनुरोध की स्वत: स्वीकृति का अधिकार नहीं देती।

7. इस योजना के तहत कार्पोरेशन के पात्र कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सक्षम प्राधिकारी होंगे।

8. कोई भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तब तक प्रभावी नहीं मानी जाएगी, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का निर्णय लिखित रूप में सूचित न किया गया हो।

डी - पी मिश्रा

9. कार्पोरेशन के पास इस योजना को इसके प्रचलन के दौरान किसी भी समय वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

डी. पी. मिश्रा 19/11/2020
(डी.पी. मिश्रा)
मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक)

**प्रतिलिपि:**

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- सभी निदेशकों/मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक-वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी
- सभी प्रभागाध्यक्ष/सभी शाखा प्रबंधक
- उप महाप्रबंधक (लेखा एवं स्थापना)
- महासचिव, एसटीसी कर्मचारी संघ का परिसंघ, नई दिल्ली
- महासचिव, एसटीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन का परिसंघ, नई दिल्ली
- महासचिव,एसटीसी अखिल भारतीय अनु.जाति/जनजाति कर्मचारी संघ का परिसंघ, नई दिल्ली
- सूचना पट्ट
- एसटीसी वेबसाइट

डी. पी. मिश्रा

अनुलग्नक-I

# स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2020 हेतु आवेदन

(नोडल अधिकारी के पास दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

संयक्त महाप्रबंधक (कार्मिक),
एसटीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड,
जवाहर व्यापार भवन,
टॉलस्टॉय मार्ग,
नई दिल्ली – 110001

(उचित माध्यम से)

महोदय,

परिपत्र सं. औ.सं./31/2020 दिनांक 19.11.2020 के संदर्भ में, मैं एतद्द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2020 के तहत सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन करता/करती हूँ। मेरी आयु और सेवा के विवरण नीचे दिए गए हैं:

| | | |
|---|---|---|
| क. | एसटीसी में नियुक्ति की तारीख | |
| ख. | एसटीसी में सेवा के पूर्ण वर्ष (आवेदन की तिथि पर) | |
| ग. | वर्तमान पद | |
| घ. | जन्मतिथि | |
| ङ. | वर्तमान आयु | |
| च. | अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति की तारीख | |
| छ. | आवेदन की तिथि को वेतन:<br>I. मूल वेतन (₹)<br>II. महंगाई भत्ता (₹)<br>III. कुल योग | |

2) मैं निम्नलिखित अनुग्रही लाभ का विकल्प लेना चाहता/चाहती हूँ :- [ ]

3) मैं एतद्द्वारा वचन देता/देती हूँ कि पावती दिए जाने के पश्चात मैं अपना आवेदन वापिस नहीं लूँगा/लूँगी।

4) मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु मेरे आवेदन पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाए और इसकी स्वीकृति पर मेरे देयों का योजना के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र निपटान कर दिया जाए।

5) मैं एतदद्वारा पिछले 24 माह के दौरान अन्य रोजगारों के लिए भेजे गए आवेदनों के विवरण संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत करता/करती हूँ।

6) मैं एतद्द्वारा यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात मैं किसी अन्य सीपीएसई / राज्य पीएसई / सरकारी संगठन / स्वायत्त निकाय / केंद्रीय/राज्य सरकार के अधीन अधीनस्थ कार्यालय / कोआपरेटिव संगठन में कार्यग्रहण नहीं करूँगा/करूँगी। मेरे द्वारा ऐसा करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2020 के प्रावधान मुझ पर लागू होंगे।

7) पिछले 24 माह के दौरान क्रेंद सरकार/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संगठनों में बाहर रोजगार के आशय से माँगे गए अनापत्ति प्रमाण-पत्रों (एनओसी) के विवरण परिशिष्ट मे दिए गए हैं।

8) मैं एसटीसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2020 में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों को बिना किसी शर्त तथा अपरिवर्तनीय रूप में स्वीकार करता/करती हूँ।

भवदीय,

हस्ताक्षर: ( )
आवेदक का नाम: ..........
पदनाम: ..........
प्रभाग/शाखा: ..........
कर्मचारी सं.: ..........
फोन नं.: ..........

क्रम सं. : ____________
प्राप्त करने की तारीख : ____________
समय(घंटे:मिनट) : ____________
नोडल अधिकारी के
हस्ताक्षर नाम और पदनाम : ____________

डी.पी. मिश्रा

**<u>परिशिष्ट</u>**

## <u>बाहर रोजगार हेतु आवेदन करने के लिए एसटीसी से माँगे गए अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के विवरण</u>

मैं____________________________________ एतदद्वारा परिपत्र संख्या औ.सं./31/2020 दिनांक 19.11.2020 के संदर्भ में, बाहर रोजगार हेतु पिछले 24 माह के दौरान भेजे गए आवेदनों और एसटीसी द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" का विवरण प्रस्तुत करता/करती हूँ।

| क्र.सं | संगठन का नाम | आवेदित पद | सरकार/सीपीएसई | अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी करने की तारीख | क्या साक्षात्कार के लिए बुलाया गया? | अनापत्ति प्रमाण-पत्र का परिणाम (चयनित/नहीं चुने गए/प्रकिया जारी है, इत्यादि) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |

मैं, एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है।

हस्ताक्षर: (                    )

आवेदक का नाम: ..............................

पदनाम: ..............................

प्रभाग/शाखा:. ..............................

कर्मचारी सं.:....................

फोन नं.: ....................

दिनांक :

स्थान :

डी. पी. मिश्रा

**THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD: NEW DELHI**

(INDUSTRIAL RELATIONS GROUP)

**F. NO: STC/CO/PER/IR/02140/2014** November 19, 2020

**CIRCULAR NO: IR/31/2020**

**SUBJECT: STC VOLUNTARY RETIREMENT SCHEME-2020**

It has been decided to introduce the STC Voluntary Retirement Scheme (VRS) for all employees of STC. The Scheme shall come into force with effect from **19.11.2020** and shall remain open for 60 days i.e. upto the closing hours of **18.01.2021 (both days inclusive).** The eligible employees seeking Voluntary Retirement will be required to send their applications in the prescribed format (Annexure-I) through proper channel. The last date of receipt of applications at the Corporate Office/Branches will be the closing office hours of **18.01.2021.**

1.1 The number of employees to be covered under the Scheme estimated about 150 employees. The applications for Voluntary Retirement would be considered generally on "first-come-first-serve basis". However, the employees (Managers & Staff) from the Branches under closure will be given first preference. In case of employees serving at CO, two or more applications are received at the same time, the priority will be accorded to the applicant having reached higher age.

1.2 If the number of applicant is more than the estimated number, the waiting list will be maintained and same will be implemented subsequently on availability of funds.

2. **Eligibility**

2.1 The STC Voluntary Retirement Scheme will be applicable to all the regular employees in STC as under:

i) All employees in Staff cadre irrespective of length of service
ii) All employees in Manager cadre irrespective of length of service

2.2 There will be no recruitment/promotion against vacancies arising out of Voluntary Retirement Scheme and the posts/vacancies will be abolished/reduced.

3. **VRS Compensation and other Terminal Benefits**

3.1 An employee, while applying for Voluntary Retirement Scheme -2020, should opt for **any one** of the following ex-gratia benefits (Scheme 'A' or Scheme 'B'), and indicate his/her choice clearly at Sl. No. 2 of the VRS application form:

3.1.1 **SCHEME – 'A' – GUJARAT PATTERN**

The compensation will consist of salary of 35 days for every completed year of service and 25 days for the balance of service left until superannuation. The compensation will be subject to a minimum of Rs.25,000/- or 250 days salary, whichever is higher. However, this compensation shall not exceed the sum of the salary that the employee would draw at the prevailing level for the balance of the period left before superannuation.

3.1.2 **SCHEME – 'B' - DHI PATTERN**

(i) An employee would be entitled to ex-gratia payment equivalent to 45 days emoluments (Pay+DA) for each completed year of Service or monthly emoluments at the time of retirement multiplied by the balance month of service left before the normal date of retirement, whichever is less.

(ii) All those who have completed not less than 30 years of service, will be eligible for maximum of 60 (Sixty) months salary/wage as compensation. This will be subject to the amount not exceeding the salary/wage for the balance period of service left (at the rate of monthly salary/wage at the time of Voluntary Retirement).

3.2 Besides ex-gratia, the following terminal benefits shall be payable:

3.2.1 Three months' notice pay as per applicable service conditions will be allowed. This will, however, be subject to the condition that the total amount of compensation and three months' notice pay shall not exceed pay for the balance period of employees' service till his/her superannuation.

In circumstances where the management takes time to take a decision about the acceptance of an application submitted by the employee for voluntary retirement and allows the notice period to lapse or the individual concerned has drawn full salary during the notice period served by him/her, in these cases notice period pay would not be admissible as the individual has already drawn the salary during the notice period.

3.2.2 The compensation under VRS will be in addition to the terminal benefits viz CPF, Gratuity as per Payment of Gratuity Act, and Encashment of Leave as per rules of the Corporation.

3.2.3 Cash equivalent to Casual Leave on pro-rata basis upto the date of relieving of the employee.

3.2.4 Travel expenses for self and family for proceeding to home town or to the place where he/she intends to settle in India as per his/her entitlement under the TA rules of the Corporation; the journey should have been performed within 2 months from the date of relieving, beyond this period claim will not be admissible.

3.2.5 The Medical benefits as stipulated under the STC (Retired) Employees' Medical Benefit Scheme as amended from time to time, provided the employee does not avail of similar benefits from any other source.

3.2.6 An employee opting for VRS will be governed by Clause 10(b) of STC Employees' Defined Contribution Superannuation Scheme - Pension Scheme – Pension Rules.

3.2.7 Retention of company owned residential accommodation will be allowed maximum for a period two months from the date of relieving and a token amount of Rs. 2 Lakh (Rupees Two Lakh) – interest free will be retained till vacation of accommodation.

3.2.8 Due to precarious financial condition of the Corporation and limitation of funds, the ex-gratia compensation may be paid in TWO equal Installments. However, efforts would be made to settle the same at the earliest. Further, no interest will be payable except on statutory payments delayed beyond the prescribed time limit provided no faults/shortcomings are attributable for delay on the part of VRS Optees.

4. **<u>Procedure:</u>**

4.1 The prescribed form for seeking VRS at **<u>Annexure-I</u>** will be required to be submitted in duplicate to the designated Nodal Officers:

a) <u>At Corporate Office</u>: Shri S.K. Meena, JGM - Personnel Division (In his absence, Dr. Jagdish Prasad, CM-Personnel Division will act as Nodal Officer to receive the applications).

b) At Branches: Branch Manager or a Manager nominated by him/her will act as Nodal Officer to receive the applications from the Branch and respective Representative Office under the Branch charge.

4.2 In both Corporate Office and Branches, the acknowledgement of the application will be given on duplicate copy (to be retained by the concerned employee) indicating date of receipt to be recorded by the Nodal Officer. In case of applications from employees of Branches, scanned copy of the same shall be sent latest by next day by email to Joint General Manager (Pers.) at skmeena@stclimited.co.in with a copy to Dr. Jagdish Prasad, CM(Pers.) at drjagdishpd@stclimited.co.in followed by Fax/Post. The original application forms will be sent by the Branches on a weekly basis to the Joint General Manager (Pers.), CO.

5. **Relieving**

5.1 The Voluntary Retirement Scheme is extended primarily to all employees (Managers & Staff). Processing of VRS applications will be generally done on first-come-first-serve basis, subject to Vigilance clearance and limitation of funds.

5.2 The employees who seek Voluntary Retirement under this scheme shall be relieved at the earliest. The VRS optee after acceptance of application within 5 days shall handover his/her charge to the official designated by the respective Divisional Head/Branch Manager before being relieved. The acceptance of VRS request of an employee will be subject to Vigilance clearance and his/her relieving will be only after handing over the charge to the authorised person to be decided by Divisional Head/BM. In case of request for VRS from Divisional Head/BM, concerned Director will decide his/her relieving and all other associated matters.

5.3 The employee who seeks Voluntary Retirement under this Scheme will cease to be on the rolls of the Corporation from the date of his/her relieving.

5.4 Management reserves the right to reject a request for seeking VRS by an employee in Managerial cadre (E-1 to E8) on the ground that individual employee services are required for the Corporation or defer the date of relieving as the case may be, on the recommendation of the Director concerned.

6. **Other Conditions:**

6.1. The Scheme is not negotiable and shall not be a subject matter of any industrial dispute.

6.2. Salary for the purpose of VRS shall consist of Basic Pay and Dearness Allowance only and no other element will be counted.

6.3. For the purpose of calculation of ex-gratia, month will be calculated on the basis of 30 days.

6.4. Calculation of VRS compensation will be on the basis of completed years of service rendered/left and part thereof on pro rate basis as per DPE guidelines.

6.5. The LOP (Loss of Pay) period will not be counted as duty for Voluntary Retirement benefits, therefore, for the purpose of calculation of completed years of service, period of un-authorised absence, leave without pay or any absence not regularized by sanction of leave shall not be taken into account.

6.6. Past service rendered in other CPSEs would be taken into account only on transfer of cash equivalent to Earned Leave and Provident Fund.

6.7. Gratuity will be paid as per The Payment of Gratuity Act, 1972.

6.8. No other benefits except those mentioned above will be admissible to those who seek voluntary retirement.

6.9. The payment on account of Voluntary Retirement shall be subject to Income Tax deductions, if any, as per Income Tax Act.

6.10. Once an employee avails of voluntary retirement from STC, he/she shall not be allowed to take up employment in another CPSE/State PSEs/ Govt. Organisations/Autonomous Bodies/Subordinate Offices/Cooperative Organisation under administrative control of the Central/State Government. If he/she desires to do so, he/she shall have to return the ex-gratia payment received by him/her to STC owing to the reason that VRS optee has been compensated for the leftover service. In case STC is closed/merged, the ex-gratia payment shall be directly returned to the Government.

6.11. The VRS optees shall be required to prepare a list of files including scanned copies of files/documents etc., lying in his/her custody duly page numbered and also list of pending matters requiring action and hand over charge to the manager as designated by the Divisional Head/Branch Manager. Further, he/she will return all items issued to him/her for official use to the concerned department and obtain NOC from the Division concerned. Thereafter, his/her dues will be released to him/her.

6.12. The employees will have to opt for VRS by the closing hours of 18.01.2021. Thereafter, the management may initiate the process to deal with the surplus manpower as per provisions of the Industrial Dispute Act, 1947.

6.13. Once acknowledgement of VRS application has been given, the optee will not be allowed to withdraw his/her VRS application.

6.14. Since the VRS compensation considers left over service till superannuation, therefore, the employees opting for Voluntary Retirement are required to submit the details of applications made for outside employment in CPSEs/State PSEs/ Govt. Organisations/Autonomous Bodies/Subordinate Offices/Cooperative Organisation under administrative control of the Central/State Government, during last 24 months in the prescribed format at Appendix to VRS Application form (Annexure-I).

6.15. The acceptance of Voluntary Retirement shall be subject to the condition that all outstanding dues as on the date of relieving can be adjusted from the ex-gratia and leave encashment payable. In case, the outstanding amount exceeds the payable amount of ex-gratia and leave encashment, for the difference over and above the amount after adjusting the payable, the employee shall have to pay the same to STC, before acceptance of his/her Voluntary Retirement request.

6.16. The acceptance of Voluntary Retirement request shall be subject to Vigilance clearance and limitation of funds. The scheme does not confer any right on an employee to have his/her request for voluntarily retirement accepted.

7. The Chairman–cum-Managing Director of the Corporation will be the Competent Authority to grant Voluntary Retirement to the eligible employees of the Corporation under this Scheme.

8. No Voluntary Retirement shall be deemed to have come into effect unless the decision of the Competent Authority has been communicated in writing.

9. The Corporation reserves the right to withdraw the Scheme at any time during the course of operation and its decision in this respect will be final.

(D.P. Mishra) 19/11/20
Chief General Manager (Pers.)

**Copy to**

-Exe. Secy. to CMD

-Exe. Secys.to all Directors/CVO

-All CGMs/GM-F & CFO

-All Divisional Heads/All BMs

-DGM (F) (A&E)

-SG, Fed. of STCEUs, New Delhi

-SG, Fed of STCOAs, New Delhi

-SG, All India Fed. of STC SC/ST Emp. Association, New Delhi

-Notice Board

-STC Website

**ANNEXURE–I**

## APPLICATION FOR STC VOLUNTARY RETIREMENT SCHEME – 2020
**(to be submitted in duplicate to Nodal Officer)**

The Joint General Manager (Pers),
STC of India Ltd.,
JawaharVyaparBhawan,
Tolstoy Marg,
New Delhi – 110001

(THROUGH PROPER CHANNEL)

Sir,

With reference to the Circular No. IR/31/2020 dated 19.11.2020, I hereby apply for retirement under the STC Voluntary Retirement Scheme – 2020. My age and service particulars are as given below:

| | | |
|---|---|---|
| a. | DATE OF APPOINTMENT IN STC | |
| b. | COMPLETED YEARS OF SERVICE IN STC(as on date of application) | |
| c. | PRESENT POST HELD | |
| d. | DATE OF BIRTH | |
| e. | PRESENT AGE | |
| f. | DATE OF RETIREMENT ON ATTAINING THE AGE OF SUPERANNUATION | |
| g. | SALARY AS ON AS ON DATE OF APPLICATION:<br>I. BASIC PAY (Rs.)<br>II. DA (Rs.)<br>III. TOTAL | |

2) I wish to opt for the following ex-gratia benefit pattern: -
3) I hereby undertake that I shall not withdraw my application after the acknowledgement has been given.
4) I request that my application for Voluntary Retirement may be considered favourably and on acceptance of the same, my dues may be settled at the earliest as per the Scheme.
5) I hereby submit the details of the applications submitted for another jobs (jobs elsewhere) during last 24 months in the format as annexed.
6) I do hereby declare that I shall not join any other CPSE/State PSE/Govt. Organisation/Autonomous Body/Subordinate Office/Cooperative Organisation under administrative control of the Central/State Government after Voluntary Retirement. In case I do so, the provisions of STC Voluntary Retirement Scheme 2020 shall be applicable to me.
7) The details of NOC sought in last 24 months for seeking outside employment in the organistions under administrative control of the Central Govt./State Govt. etc., are indicated in the Appendix.
8) I accept the terms and conditions stipulated in the STC Voluntary Retirement Scheme-2020 unconditionally and irrevocably.

Yours Faithfully,

S. No : ____________________

Date of receipt : ____________________

Time (HH:MM) : ____________________

Signature Name and Designation

of Nodal Officer: ____________________

SIGNATURE: ( )
NAME OF APPLICANT: ____________________
DESIGNATION: ____________________
DIVISION/BRANCH: ____________________
EMPLOYEE NO: ____________________
PHONE NO.: ____________________

**APPENDIX**

**Details of NOC sought from STC for applying for outside job(s)**

I_____________________________ hereby disclose the details of the applications submitted for outside employment during last 24 months and "NO OBJECTION CERTIFICATE" issued by STC to that effect in reference to the Circular No. IR/31/2020 dated 19.11.2020.

| Sl. No. | Name of the Organization | Post applied for | Govt./CPSE | Date of NOC issued | Whether called for interview | Outcome of the NOC. (Selected/ not selected /Process continuing etc.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |

I hereby declare that the above information provided are complete, true and correct to the best of my knowledge and belief.

DATE:
PLACE:

SIGNATURE: ( )
NAME OF APPLICANT:__________________
DESIGNATION:__________________
DIVISION/BRANCH:__________________
EMPLOYEE NO:__________________
PHONE NO.:__________________